प्रेषक,

जितेन्द्र मिश्रा(उच्चतर न्यायिक सेवा)
अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश(ई0सी0एक्ट)
कक्ष संख्या–04, मीरजापुर।

सेवा में,

माननीय महानिबन्धक
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

द्वाराः– मा0 जनपद न्यायाधीश, मीरजापुर।

विषयः– नियम 15 उत्तर प्रदेश राजकीय सेवक आचरण नियमावली 1956 सपठित OM-N0 3143/11 B-1968 दिनांकित 11.12.1968 के प्रावधानानुसार "A Handbook on Local Laws in Uttar Pradesh" शीर्षक की अंग्रेजी भाषा में पुस्तक प्रकाशित कराये जाने की अनुमति के सम्बन्ध में।

महोदय,

विषयांकित के सम्बन्ध में सादर अवगत कराना है कि मेरे द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के लोकल लॉज से जन सामान्य तथा परीक्षार्थीगण को भिज्ञ कराने के लिए उपर्युक्त वर्णित पुस्तक का लेखन किया जा रहा है।

यह भी अवगत कराना है कि उपर्युक्त प्रस्तावित पुस्तक में उत्तर प्रदेश शासन या भारत सरकार की कोई सील या मुद्रा का प्रयोग नहीं किया जायेगा।

मेरे द्वारा लेखक के रूप में अपने नाम के साथ अपने पद नाम का प्रयोग नहीं किया जायेगा तथा मैं पुस्तक में व्यक्त किये गये टिप्पणी एवं विचारों के लिए उत्तरदायी रहूँगा।

यह भी अवगत कराना है कि प्रस्तावित पुस्तक सरकार अथवा उसकी नीतियों से सम्बन्धित नहीं है। मैं इस बात के लिए आबद्ध हूँ कि प्रस्तावित पुस्तक में ऐसे कोई भी तथ्यों या विचारों का प्रकटन नहीं होगा, जिसमें राज्य सरकार या भारत सरकार या अन्य किसी स्थानीय सरकार के विरूद्ध कोई प्रतिकूल बात कही गयी हो।

अतएव माननीय महोदय से निवेदन है कि उपर्युक्त पुस्तक को प्रकाशित कराये जाने हेतु अनुमति प्रदान कराये जाने की कृपा करें।

सादर!

भवदीय,

31/10/2022

दिनांक–31–10–2022

(जितेन्द्र मिश्रा)
अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश(ई0सी0एक्ट)
कक्ष संख्या–04, मीरजापुर।
आई.डी.नं.–यू.पी.–6300